कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आंदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 12163/2022 गणपत लाल बनाम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 10.11.2022 में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राउमावि, वरली, तहसील पिण्डवाडा (सिरोही)में अध्यापक लेवल प्रथम पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी इस समय लंग्स कैंसर (स्टेज 4) से ग्रसित है। याचिकार्थी की पत्नी न्यूरो समस्या से ग्रसित होने के कारण शरीर का बाया अंग दर्द से पीड़ित होने के फलस्वरूप बेड रेस्ट पर है। याचिकार्थी की पत्नी पिछले 4 माह से अपने मायके उनकी माताजी के सानिध्य में है। जिसके फलस्वरूप याचिकार्थी की स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। बच्चों की भी देखभाल पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। याचिकार्थी का पदस्थापन याचिकार्थी के निवास स्थान से 50किमी. दूरी पर है। अतः याचिकार्थी को आने–जाने में दिक्कत होती है। याचिकार्थी ने उनके घर के नजदीक विद्यालय राउमावि, सेन्दला तहसील बाली, जिला पाली में रिक्त पद पर स्थानान्तरित करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के अनुसार अध्यापक लेवल प्रथम पद का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक लेवल प्रथम पद का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक लेवल प्रथम पद के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभाग द्वारा जिलेवार एवं वर्गवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि **"the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post."** इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है।

अतः याचिकार्थी द्वारा सिरोही जिले से पाली जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपरोक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुंत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12917/2022 दिनांकः 23.12.22

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक सिरोही
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. याचिकार्थी गणपत लाल, अध्यापक लेवल प्रथम राउमावि, वरली, तहसील पिण्डवाड़ा (सिरोही
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)